न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022 / 169 दर्ज दिनांक : 22.08.2022

1. मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. याकूब अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 42 अगुणा मोहल्ला, चूरू (राज.) मो. नं 9460845385

–वादी–

बनाम

1. मुस्ताक खां उर्फ मुस्ताक अहमद पुत्र महनू खां जाति कायमखानी वार्ड नं. 42 अगुणा मोहल्ला, चूरू (राज.) मो. नं. 7568587786
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
3. रूकशाना पुत्री मरहूम याकूब अली निवासीन अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 42 चूरू (राज.)
4. शमीम बानो पुत्री मरहूम याकूब अली निवासीन अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 42 चूरू (राज.)
5. कदीर बानो पत्नी मरहूम याकूब अली (वादी की माताजी) निवासीन अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 42 चूरू (राज.)
6. मेहर बानो पुत्री स्व. महनू खां (मृतक) वारिसान :

6./1 अजीज खान (मृतक) पुत्र मेहर बानो (मृतक) अजीज के वारिसान :–

1/1 आबिद पुत्र अजीज निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

1/2 असलम पुत्र अजीज निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

1/3 रूबिना पुत्री अजीज निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

6. /2 सरवर खां (मृतक) पुत्र मेहर बानो (मृतक) अजीज के वारिसान :–

2/1 रफीक पुत्र सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/2 सुभान पुत्र सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/3 मुबारिक पुत्र सरवर निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/4 आसिम पुत्री सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/5 शहनाज पुत्री सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/6 नसरीन पुत्री सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

7. नूरजहां पुत्री स्व. महनू खां जाति कायम[illegible] वार्ड नं. 01 जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8. सायरा बानो पुत्री स्व. [illegible] निवासी रेलवे घुम चक्कर के पास नई मस्जिद वार्ड नं. 21 रत[illegible]
9. हलीमा पुत्री स्व. महनू खां जाति कायमखा[illegible] निवासी रेलवे घुम चक्क[illegible]पास नई मस्जिद वार्ड नं. 21 रतनगढ़ जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री असीम खान, अनवर खान
प्रतिवादी श्री इलियास खान श्री आरजू खान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

: निर्णय :

दावा बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड, घोषणात्मक एवं डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजक खाता अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 88 आर.टी.ए. वादी व प्रतिवादी संख्या 01, एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 01 वादी का सगा चाचा लगते है प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्व. महनू खां वादी के दादाजी लगते है। महनु खां के दो बेटे याकूब अली व प्रतिवादी संख्या 01 मुसताक खां हुवे। बड़ा बेटा याकूब अली जो राज. पुलिस में नौकरी करते थे तथा रिटायरमेंट तक श्री गंगानगर जिले पोस्टेड रहे थे बड़े बेटे याकूब अली का दिनांक 30.01.2019 को इन्तकाल हो चुका है जो वादी के पिता थे व प्रतिवादी मुस्ताक के बड़े भाई थे।

वादी के दादाजी व परदादाजी की खातेदारी व काश्त में कृषि भूमि खसरा संख्या 803 रकबा 3–15 व खसरा संख्या 810 रकबा 17 बीघा रोही मौजा चूरू शहर के अगुणी तरफ राणासर जाने वाले रास्ते के पास व पूनियां कॉलोनी के उत्तर में स्थित है दोनों खसरों की कुल भूमि 20 बीघा 15 बिश्वा है जिसका पटवार चूरू लगता है।

इस वादगत कुल कृषि भूमि में स्व. उमरखांजी महनू खां जी काबिज खातेदार रहे है। स्व. उमरखानजी के हिस्से पर उनके वारिसान काबिज है जिनमें आपस में कोई विवाद नहीं है इनके हिस्से में 172 हि. है तथा स्व. महनुखां के हिस्से ब.हि.ब. 2.1625 हैक्टेयर (8 बीघा 10 बिश्वा) 171 / 415 ब.हि. ब. भूमि आती है इस 171 हि. भूमि में वादी के वालिद स्व. याकूब अली का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं आया, अकेला प्रतिवादी मुस्ताक खां का ही नाम का अंकन हुआ है, जबकि मुताबिक कानून के दोनों भाईयों का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना चाहिये था इस हिसाब से 171 हि. में आधे में वादी के पिता के नाम दर्ज होना चाहिये था, मगर चूंकि अब वादी के पिता का इन्तकाल हो गया है तो उनके बतौर कानूनी वारिस के वादी का नाम भी प्रतिवादी संख्या एक के साथ अंकन कराने बाबत यह दुरस्ती रिकॉर्ड व वादी को 171 हि. में आधी का खातेदार घोषित करवाये जाने बाबत यह दावा पेश किया जा रहा है। वादी व प्रतिवादी की हिस्से की यह जमीन पूनियां कॉलोनी के उत्तर में चिपकती हुई है जिसमें आधा हिस्सा पूर्व तरफ का वादी का कब्जा काश्त है तथा पश्चिमी तरफ का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का है। मौके पर हम दोनों का पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है, मगर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार अंकिन नहीं हुआ है इस बाबत कई मर्तबा वादी के वालिद ने प्रतिवादी को कहा व उनके इन्तकाल के बाद वादी ने भी कई बार कहा कि जब आधी जमीन पर मेरा कब्जा है तो राजस्व रिकॉर्ड में भी मेरा नाम बतौर खातेदार अंकित हो जायेगा आप सहमति पत्र तहसीलदार, चूरू के समक्ष लिखकर दे देवे, मगर हमेशा टालते रहे समय निक[illegible] हैं। मैंने यह भी सुना है कि प्रतिवादी ने Agrement to sale के जरिये कु[illegible] देने के कागजात भी तैयार करवाये है क्योंकि आज दिन तक त[illegible] ब.हि. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्ही का नाम अंकित है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सारी 171 ही [illegible] का किसी अन्य को Transfer किसी भी तरह से कर देगे तो मुझ वादी का हक व अधिकार मारा जायेगा जिसमें मुझे ना पुरा होने वाला नुकसान होगा व घोर असुविधा का सामना भी करना पडेगा तथा वाद बहुलता भी बढेगी व वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बेइन्साफी का शिकार हो जायेगा ऐसी स्थिति व हालात में प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये निषेधाज्ञा मना किया जाना जरूरी है कि वो ता. फैसला दावा वादगत भूमि का कोई भी हिस्सा वादी के हक व हिस्सा की 171 है, मैं आधी भूमि पूर्व तरफ में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से Transfer न करे ना मेरे इस्तेमाल में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे इस आश्य की निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश भी जारी किया जाना लाजमी हो गया है।

प्रतिवादी संख्या 01 ने खाता विभाजन व दुरस्ती कराने बाबत दिनांक 07.08.2022 को बुमुकाम वादी को साफ इनकार कर दिया है, लिहाजा इसी तारीख से वादी को विनाय मुरवासमत विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 हासिल हुई है। वादी व प्रतिवादी दोनों दादा व पिता द्वारा बनाई घर/हवेली अगुणा मोहल्ला में रहते है। एक ही गुवाड़ी में रिहायस करते है वादगत आधी पूर्व तरफ की भूमि पर मेरा कब्जा Admitted By Deffendent होने से तथा यह भूमि पैतृक होने से वादी को विरूद्ध प्रतिवादी विनाय दावा हासिल है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार चूरू के विरूद्ध कोई बेजा अनुतोष नहीं मांगा है, मगर चूंकि राजस्व रिकॉर्ड को ये ही साधारण व Maintain करते है इसलिए इन्हें बतौर आवश्यक पक्षकार होने के नाते प्रतिवादी बनाया गया क्योंकि निर्णय व डिक्री की पालना में वादी का नाम का अमल दरामद व रिकॉर्ड में अंकन करने का काम प्रतिवादी संख्या 02 के ही जिम्मे रहेगा।

दावा के साथ वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित नकले संलग्न है।

प्रतिवादी संख्या 01 के अकेले नाम उसके पिता व वादी के दादा की 171/415 ब.हि.ब. यानी 2.1625 हैक्टेयर है यानि 08 बीघा 10 बिश्वा भूमि में मुताबिक आधा हिस्से के 04 बीघा 05 बिश्वा भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाए व बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भी अंकित किया जाने की डिक्री पारित की जाने की कृपा की जावे।

वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध इस कृषि भूमि को व अपने हक व हिस्से के इस Relief को लेकर यह प्रथम दावा है इससे पहले ना तो कोई दावा निर्णित हुआ है ना जैरकार है।

वादगत कृषि भूमि पैतृक जायदाद है इस भूमि के बाबत एक Revenue Suit No. 124/1988 अनवानी असगर खान वगैरा बनाम राज. सरकार न्यायालय S.D.O. कोर्ट चूरू निर्णय दिनांक 07.01.1999 के द्वारा प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार अंकन हुआ है यह भूमि प्रतिवादी की स्वयं अर्जित जायजाद नहीं है।

वादगत कृषि भूमि रोही चूरू में स्थित होने दोनों पक्षकार चूरू शहर में निवास करते है तथा Cause of action & Relief of Suit के लिहाज से मानवीय न्यायालय को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है।

प्रतिवादी संख्या 02 जो आवश्यक पक्षकार होने से Formly इन्हें पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है इनके विरूद्ध वादी ने कोई बेजा Relief नहीं मांगी है इसलिए 60 दिवस का प्रिवियस Notice U/s-80 cpc के तहसत दिया जाना जरूरी नहीं बनता है।

दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 According Relief of Suit & Pleading निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

खसरा नं. 810 व 803 [illegible] 15 बिश्वा जिसमें वादी के दादाजी स्व. महनु खां जिनके हिस्सा में 171 (2.1625) [illegible] जो कुल 08 बीघा 10 बिश्वा भूमि के दक्षिणी हिस्सा में पूर्वी तरफ के हिस्से की आधी जमीन [illegible] 4 बीघा 5 बिश्वा में प्रतिवादी के साथ बतौर खातेदार नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे व इसी मुताबिक वादी व प्रतिवादी के मध्य क्री विभाजन भी जारी की जावे व राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को वर्जित किया जावे कि वो किसी भी तरह से वादी के हिस्सा में आने वाली भूमि से ज्यादा को किसी तरह से Transfer नहीं करे न रहन आदि करे पूर्व में कर दिया है तो उस Tranjecation को रद्ध घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता इलियास खान ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 01 की ओर इकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :–

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित बिन्दु सं. 1 साबित करने का भार वादी पर है।
2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 2 के पक्ष में कोई अधिकृत अभिलेख न होने के कारण अस्वीकार है।
3. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 3 कानूनी है जिसको साबित करने का भार वादी पर है।
4. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 4 का संबंध मुख्य प्रतिवादी से है।
5. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 5 राजस्व रिकॉर्ड का संधारण एवं मैनटेन नियमानुसार किये जाने की हद तक स्वीकार है।
6. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 6 का संबंध गौण प्रतिवादी से नहीं है।
7. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 7 माननीय न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया के अधीन है।
8. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 8 का संबंध गौण प्रतिवादी से नहीं है।
9. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 9 प्रमाणित करने का भार वादी पर है।
10. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु सं. 10 निवास व न्यायालय क्षेत्राधिकार से संबंधित होने से माननीय न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया के अधीन है।
11. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 11 कानूनी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की पेश की गई जिसका जवाब वादी अधिवक्ता की ओर से दिया गया वादी ने प्रतिवादी के द्वारा उठाए गए कुछ बिन्दुओं को स्वीकार किया है जैसे कि कुछ तथ्य सही हैं लेकिन इसके बावजूद वादी ने अपने पक्ष में तर्क दिए हैं। वादी का कहना है कि यदि कोई भी विवाद है तो इसे अदालत में सुना जाएगा क्योंकि भूमि का बंटवारा और कब्जे का मुददा कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। दावा Barred by law नहीं है और इस पर विचार करना अदालत का अधिकार है क्योंकि यह एक मिश्रित कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न है जो केवल पूरी सुनवाई के बाद ही तय किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी की ओ से महनुखां के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है परन्तु दिनांक 26.10.2023 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 10 सीपीसी को पेश की जा चुकी है जिसका जवाब भी प्रतिवादी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा चुका है इस प्रकार जो तकनीकी बिन्दु जिसकी पूर्ति की जा चुकी हो को आधार मानकर दावा खारिज किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित प्रतीत होता है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत् खातेदारी घोषणा का है जिस हेतु समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया जाकर ही निर्णय किया जा सकता है। प्रतिवादी की ओर से आक्षेप लगाया गया है कि वादगत कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में नहीं है जो कि विवाद्यक बनाया जाकर साक्ष्य द्वारा ही निर्धारित किया जाना संभव है इसलिए दावा किसी भी कानून से बाधित नहीं है तथा जब तक दावा विचाराधीन है किसी भी स्तर पर हितबद्ध व्यक्तिको न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया जा सकता है इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पोषणीय नहीं है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस प्रकरण में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की पेश की गई जिसका जवाब प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से दिया गया इस संबंध में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्पष्ट करता है कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिका वाद के विषय में कोई हित है तो उसे वाद में पक्षकार बनाया जा सकता है अथवा न्यायालय स्वयं भी ऐसा आदेश पारित कर सकता है। धारा 151 सीपीसी न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान करती है कि वह न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करे सके। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत प्रतिवादी द्वारा पूर्व में वाद निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो इस आधार पर खारिज हुआ कि त्रुटियों की पूर्ति हेतु विधिसम्मत प्रयास किया गया है। अतः वही आपत्ति अब दोबारा उठाना न्यायसंगत नहीं है। यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक पक्षकारों को सम्मिलित नहीं किया गया था किन्तु तत्पश्चात वादी ने त्रुटि स्वीकारते हुए सभी संभावित उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। यह न्याय की मूल भावना के अनुरूप है ताकि कोई भी व्यक्ति निर्णय से वंचित न हो और विवाद का अंतिम समाधान हो सके। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन कोई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है अपितु न्यायसंगत समाधान की दिशा में एक विधिक प्रयास है। अतः प्रस्तुत समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। वादी को अनुमति दी जाती है कि वह उल्लेखित सभी व्यक्तियों को वाद में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करें संशोधित टाईटल पेश किया जाकर याकूब अली पुत्रियां व पत्नी को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 संयोजित किया गया। महनू खां की पुत्री को प्रतिवादी संख्या 6 और उसके वारिसान अजीज 6/1 के वारिसान को 6/1/1 से 6/1/3 तक संयोजित किया गया व मेहर के वारिस सरवर खां को 6/2 प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया व सरवर खां के वारिसान को 6/2/1 से 6/2/6 तक संयोजित किया गया। महनू खां की अन्य 3 पुत्रियों नूरजहां, सायरा, हलीमा को क्रमशः प्रतिवादी संख्या 7 से 9 संयोजित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 व 6/1/1 से 9 की ओर से अधिवक्ता माहिर खान ने वकालतनामा पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाल दावा पेश किया कर वादी के दावे का समर्थन किया प्रतिवादी संख्या 3 से 9 कर ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादी संख्या 1 मुस्तफा खां जो कन्टेस्ड प्रतिवादी है बाकी सभी प्रतिवादी फौरमल प्रतिवादी बनाये गये हैं सिवाय प्रतिवादी सं. 1 के अलावा किसी के विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं मांगा है।

प्रतिवादी सं. 3, 4 व 5 जो वादी की बहिन व माताजी है इन तीनों ने अपने हक हिस्से को वादी के पक्ष में त्याग करते हुए रिलिज डीड न्यायालय में जरिये वकील पेश करवा दी है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 के वारिसान प्रतिवादी सं. 6/1, 6/2, 6/3 तथा प्रतिवादी संख्या 6 का बेटा सरवर खान जो फौत हो चुका है के वारिसान प्रतिवादी सं. 6/2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ने भी रिलिज डीड के जरिये अपने [illegible] 6 (मृतक) के हिस्से की भूमि भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये रिलिज डीड [illegible] है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 जो वादी की भुआ (फुफी) लगती है [illegible] हैं इन तीनों ने भी जरिए रिलिज डीड वादगत कृषि भूमि में से अपने [illegible] वादी सं. 1 के हक में त्याग कर दिया है। तीनों ही रिलिजडीड माननीय न्यायालय की पत्रावली में पेश की जा चुकी है। अब ऐसी स्थिति में यह मामला विवादित नहीं रहा है चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादी के हक में इकबाल दावा पेश कर दिया है व प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार चूरू भी फोरमल प्रतिवादी है, अब ऐसी स्थिति में हम प्रतिवादीगण दावे का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है तथा ऐसी स्थिति में तनकीयात बनायी जाने की भी कानूनन आवश्यकता नहीं रह जाती है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 9 की ओर से रिलिज डीड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में रोही मोजा चूरू तहसील व जिला चूरू खेत खसरा 810 व 803 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिश्वा (5.2483 हैक्ट.) कृषि भूमि में से स्व. महनू खां का 171 हिस्सा यानी 2.1625 हैक्ट. में से रिलिजकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा वादी के पक्ष में रिलिज डीड पेश की है। प्रतिवादी संख्या 6/1/1 से 6/1/3 तक एंव 6/2/1 से 6/2/6 ने अपने हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलिज करने की रिलिज डीड पेश की है। प्रतिवादी संख्या 7 से 9 ने अपने हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलिज करने की रिलिज डीड पेश की है।

वादी के द्वारा मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र पेश किया गया कि प्रतिवादी सं. 01 के अकेले नाम उसके पिता व मेरे दादा की 171/415 ब.हि.ब. यानि 2.1625 हैक्ट. है यानि 08 बीघा 10 बिश्वा भूमि में मुताबिक आधा हिस्सा के 04 बीघा 05 बिश्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाए व बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम भी अंकित किया जाने की डिक्री पारित की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दावा में जिरह नहीं किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश की गई वादी के दावे की प्लीडिंग्स व अनुतोष को सही मानते हुए वादी के हक में इकबालदावा पेश कर दिया है ऐसी स्थिति में मैं ना तो कोई साक्ष्य पेश करना चाहता हूँ ना वादी से कोई जिरह करना चाहता हूँ वादी का दावा मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री बहक वादी कर दिया जाने में मुझे कोई एतराज व आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारे मध्य राजीनामा हो गया है। वादगत कृषि भूमि में पूर्वी तरफ आधी जमीन वादी का कब्जा काश्त है तथा पश्चिम तरफ की भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है। मेरे अलावा सभी प्रतिवादीगण फोरमल प्रतिवादीगण हैं जिन्होंने अपना हक त्याग करते हुए सलेन्डर डीड बनाकर फाईल न्यायालय में पेश कर दी है ऐसी स्थिति में तनकीयात कायम करने की भी कानूनी आवश्यकता नहीं है। दावा को इसी स्टेज पर निर्णित कर दिया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी का कथन है कि स्व. महनू खॉं पुत्र स्व. उमर खॉं, निवासी चूरू, खातेदारी भूमि खसरा नं. 803 रकबा 3–15 बीघा एवं खसरा नं. 810 रकबा 17 बीघा, कुल 20 बीघा 15 बिश्वा (लगभग 5.2483 हैक्टेयर) में खातेदार थे। उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो रोही मौजा चूरू में स्थित है।

महनू खॉं के निम्न दो पुत्र थे।

(1) स्व. याकूब अली (वादी के पिता)

(2) मुस्ताक खॉं (प्रतिवादी संख्या 1)

राजस्व अभिलेखों मे त्रुटिवश स्व. महनू खॉं के हिस्से की 171/415 ब.हि.ब. (लगभग 2.1625 हैक्टेयर/8 बीघा 10 बिश्वा) भूमि में केवल मुस्ताक खॉं का नाम अंकित हुआ है जबकि कानूनन दोनों भाइयों के नाम दर्ज होने चाहिए थे। वादी का कहना है कि इस भूमि में आधा भाग याकूब अली का था और वादी उस हिस्से (लगभग [illegible] है। अतः वादी ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम का अंकन किया [illegible] आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए और प्रतिवादी संख्या 1 को इस [illegible] बेचने या हस्तांतरित करने से रोका जाए। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा (Admission) प्रस्तुत कर वादी के सभी कथनों को स्वीकार किया और वादी के दावे का समर्थन किया [illegible]सने यह भी कहा कि भूमि का पूर्वी भाग वादी के कब्जे में तथा पश्चिमी भाग उसके कब्जे में है। उनके बीच आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका है, इसलिए वादी को आधे हिस्से का अधिकार मिलना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 2 (तहसीलदार, चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

औपचारिक प्रतिवादी होने के नाते उसने कहा कि जो भी न्यायालय आदेश देगा, उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाएगा। अन्य प्रतिवादीगण (3 से 9) प्रतिवादी 3 से 5 (वादी की बहिनें व माता), प्रतिवादी 6 की शाखा के सभी वारिस तथा प्रतिवादी 7 से 9 (भुआएँ) ने "रिलीज डीड (त्याग–पत्र)" प्रस्तुत कर अपने सभी हक–हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग दिया। इन डीडों की मूल प्रतियाँ न्यायालय अभिलेख में संलग्न हैं। वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी दावा की गई मांग विभाजन का अनुतोष विड्रा करना चाहता है वादी केवल खातेदारी की घोषणा चाहता है। वादी को विभाजन का अनुतोष विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वादी ने शपथ–पत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा भूमि की "जमाबन्दी, नक्शा, वंशावली" आदि प्रमाण पेश किए। प्रतिवादी संख्या 1 ने जिरह नहीं की और वादी के दावे को स्वीकार किया। अन्य प्रतिवादीगण ने भी अपने हिस्से का त्यागपत्र देकर विवाद समाप्त कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। इस प्रकार, वाद अब विवाद–रहित (Non&contested) स्थिति में है।

हालांकि वादी द्वारा समस्त सह खातेदारों का पक्षकार संयोजित नहीं किया है परन्तु वादी की ओर विभाजन का अनुतोष विड्रा किया जा चुका है व घोषणा के अनुतोषत में हितबद्ध सभी आवश्यक पक्षकारों को वादी द्वारा सम्मिलित किया जा चुका है, इसलिए वाद विधिसम्मत है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।प्रस्तुत साक्ष्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि महनू खाँ के दो उत्तराधिकारी (याकूब अली व मुस्ताक खाँ) थे। याकूब अली का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित न होकर केवल मुस्ताक खाँ का अंकित होना स्पष्ट त्रुटि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त है और अभिलेख में त्रुटि हुई है, तो न्यायालय उसे घोषित कर सकता है। चूंकि वादी महनु खां के सगे भाई का विधिक उतराधिकारी है अतः वादी, जो स्व. याकूब अली का वैध उत्तराधिकारी है, खातेदारी अधिकार का उत्तराधिकारी है। अन्य सह–वारिसों ने वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज डीड दिए हैं, अतः अब उनका कोई हित विवादित नहीं बचा है।

निर्णय

उपर्युक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर न्यायालय यह निर्णय पारित करता है कि वादी मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. याकूब अली को वादगत भूमि (खसरा नं. 803 व 810, रोही मौजा चूरू) में से स्व. महनू खाँ के हिस्से 171/415 ब.हि.ब. (2.1625 हैक्टेयर / 8 बीघा 10 बिश्वा) में से आधा हिस्सा (4 बीघा 5 बिश्वा) का खातेदार घोषित किया जाता है। संबंधित राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 मुस्ताक खाँ के साथ सह–खातेदार (Co&Tenant) के रूप में अंकित किया जाए। वादी द्वारा मांगी गई अन्य सभी राहतें, जो उपरोक्त निर्णय में शामिल नहीं हैं, अस्वीकृत की जाती हैं। प्रत्येक पक्ष अपने–अपने खर्च स्वयं वहन करेगा। तहसीलदार, चूरू को निर्णय एवं डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 13.11.2025 को [illegible] लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022 / 169 दर्ज दिनांक : 22.08.2022

1. मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. याकूब अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 42 अगुणा मोहल्ला, चूरू (राज.) मो. नं 9460845385

–वादी–

बनाम

1. मुस्ताक खां उर्फ मुस्ताक अहमद पुत्र महनू खां जाति कायमखानी वार्ड नं. 42 अगणा मोहल्ला, चूरू (राज.) मो. नं. 7568587786
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
3. रूकशाना पुत्री मरहूम याकूब अली निवासीन अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 42 चूरू (राज.)
4. शमीम बानो पुत्री मरहूम याकूब अली निवासीन अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 42 चूरू (राज.)
5. कदीर बानो पत्नी मरहूम याकूब अली (वादी की माताजी) निवासीन अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 42 चूरू (राज.)
6. मेहर बानो पुत्री स्व. महनू खां (मृतक) वारिसान :

6./1 अजीज खान (मृतक) पुत्र मेहर बानो (मृतक) अजीज के वारिसान :–

1/1 आबिद पुत्र अजीज निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

1/2 असलम पुत्र अजीज निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

1/3 रूबिना पुत्री अजीज निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

6./2 सरवर खां (मृतक) पुत्र मेहर बानो (मृतक) अजीज के वारिसान :–

2/1 रफीक पुत्र सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/2 सुभान पुत्र सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/3 मुबारिक पुत्र सरवर निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/4 आसिम पुत्री सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/5 शहनाज पुत्री सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

2/6 नसरीन पुत्री सरवर खां निवासी बुकलसरबास, नूरानी मस्जिद के पास वार्ड नं. 31 सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

7. नूरजहां पुत्री स्व. महनू खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 01 जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुंनू।
8. सायरा बानो पुत्री स्व. महनू खां जाति कायमखानी निवासी रेलवे घुम चक्कर के पास नई मस्जिद वार्ड नं. 21 रतनगढ जिला चूरू (राज.)
9. हलीमा पुत्री स्व. महनू खां जाति कायमखानी निवासी रेलवे घुम चक्कर के पास नई मस्जिद वार्ड नं. 21 रतनगढ जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मोहम्मद रफीक बनाम मुस्ताक खां आदि
2022 / 169
निर्णय दिनांक 09.10.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री असीम खान, अनवर खान
प्रतिवादी श्री इलियास खान श्री आरजू खान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

—: पर्चा डिक्री:—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92 ए आर.टी.ए. की हद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. याकूब अली को वादगत भूमि (खसरा नं. 803 व 810, रोही मोजा चूरू) में से स्व. महनू खाँ के हिस्से 171/415 ब.हि.ब. (2.1625 हैक्टेयर / 8 बीघा 10 बिश्वा) में से आधा हिस्सा (4 बीघा 5 बिश्वा) का खातेदार घोषित किया जाता है। संबंधित राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 मुस्ताक खाँ के साथ सह—खातेदार (Co&Tenant) के रूप में अंकित किया जाए। वादी द्वारा मांगी गई अन्य सभी राहतें, जो उपरोक्त निर्णय में शामिल नहीं हैं, अस्वीकृत की जाती हैं। प्रत्येक पक्ष अपने—अपने खर्च स्वयं वहन करेगा। तहसीलदार, चूरू को निर्णय एवं डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार—I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:16 IST
Reason: SelfAttested